

उत्तर प्रदेश शासन
आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2
संख्या-28/2017/2812/78-2-2017-80आई.टी./2017
लखनऊ: दिनांक: 21 सितम्बर 2017

प्रमुख सचिव
सचिवालय प्रशासन अनुभाग-13 (विविध)
उ0प्र0 शासन।

ई-आफिस व्यवस्था लागू किये जाने विषयक सचिवालय प्रशासन विभाग के पत्र संख्या-1525/बीस-13-वि-2017-5 (विविध)/2017, टीसीV दिनांक 14 अगस्त, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके प्रत्येक विभाग के अनुभाग-एक(1)के प्रभारी अधिकारी को ई-आफिस प्रणाली से संबंधित कार्य हेतु ई.एम.डी. मैनेजर (इम्पलाई मास्टर डिटेल्स मैनेजर) नामित करते हुए उनका व्यक्तिगत विवरण यथा- नाम, पदनाम, विभाग, मो नं0, भवन एवं कक्ष संख्या सहित संलग्न प्रारूप 1, 2 व 3 पर सूचना एनआइसी के ईमेल आइडी kma.khan@nic.in पर उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। साथ ही उसकी प्रति सचिवालय प्रशासन अनुभाग-13 (विविध) को भी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के क्रम में पत्रसंख्या-2724/78-2-2017-80आई0टी0/2017, दिनांक 29 अगस्त, 2017 द्वारा आई0टी0 एवं इले0 विभाग में ई-आफिस से संबंधित कार्य हेतु श्री राजबहादुर उप सचिव, आई0टी0 एवं इले0 विभाग उ0प्र0 शासन को ई.एम.डी. मैनेजर (इम्पलाई मास्टर डिटेल्स मैनेजर) नामित किया गया था। श्री राजबहादुर द्वारा उक्त कार्य में रुचि नहीं लिये जाने के कारण उनके स्थान पर श्री हरी राम, अनु सचिव, आई0टी0 एवं इले0 विभाग, उ0प्र0 शासन को ई-आफिस से संबंधित कार्य हेतु ई.एम.डी. मैनेजर (इम्पलाई मास्टर डिटेल्स मैनेजर) नामित किया जाता है।

उक्त के संबंध में ई-आफिस प्रणाली से संबंधित कार्य हेतु ई.एम.डी. का व्यक्तिगत विवरण निम्नवत है :-

नाम-	श्री हरी राम
पदनाम-	अनु सचिव,
विभाग-	आई0टी0 एवं इले0 विभाग
मो0-	9454413159
कक्ष संख्या	एनेक्सी भवन, द्वितीय तल- 200,

कृपया उक्त से अवगत होते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(एम0बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या-28/2017/2812/78-2-2017 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग ।
2. संबंधित अधिकारीगण।
3. अनुभाग अधिकारी, आई0टी0 एवं इले0 अनुभाग-1/2
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एम0बी0 सिंह)

संयुक्त सचिव

<http://shasanaesh.up.nic.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।